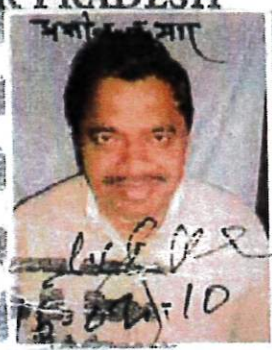


11 IV



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चैरीटेबिल ट्रस्ट, का ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री रामसिंह यादव निवासी बैंक कालोनी, शंकर टाकीज के पीछे, मैनपुरी ने (जो कि इस ट्रस्ट के गठन कर्ता हैं) द्वारा आज दिनांक 20.01.2010 को तैयार करके प्रस्तुत की गयी।

इस ट्रस्ट के गठनकर्ता श्री अशोक यादव इसका निर्माण इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान एवं विकास के क्षेत्र में इस ट्रस्ट के माध्यम से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट की परिसंपत्ति के रूप में 50,000 (पचास हजार रुपये) एकत्रित किया है।

ट्रस्ट की नियमावली निम्नवत् है

1. ट्रस्ट का नाम : श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चैरीटेबिल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय : बैंक कालोनी मैनपुरी
3. ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नांकित होंगे :

(Signature)
(Signature)

(Signature)

(Signature)

DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
 AGRA

(Signature)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 861096

1. स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये संस्थाएँ भारतीय संघ में किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेंगी। जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जायेगी।
2. शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकी पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन करना एवं सहयोग प्रदान करना।
3. नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय विध्यालय, उद्योगिक, तकनीकी, व्यवसायिक एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना एवं उनका समुचित प्रबंधन करना।
4. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थाएँ, स्कूल, कॉलेजों आदि संचालित करना एवं उनका प्रबंधन करना।
5. छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका उचित प्रबंधन करना।
6. प्रौढ शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना
7. स्कूली बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरणादायक प्रसंगों से अवगत कराने एवं उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषणों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, सेमिनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं एवं शोधकार्यों, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, ऑडियो-वीडियो, सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।
8. जनसामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनोपयोगी पठन-पाठन व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
9. प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियाँ, पारितोषक एवं निःशुल्क पुरस्कार आदि उपलब्ध कराना एवं उनके विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना।
10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान-अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कम्पनियों, फर्मों, सोसाइटियों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तों पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूँजी निवेश प्राप्त करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूँजी निवेश करना।
11. समय-समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत रागरी जैसे भोजन, कपड़े, दवाएँ, अस्थाई एवं स्थाई भवन उपलब्ध कराना।

MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

ट. व. पाठन 12



उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH

G. 861094

4. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण-

ट्रस्टी का नाम	पिता/पति/ का नाम	पता	आयु
1. श्री अशोक कुमार यादव	श्री रामसिंह यादव	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	40
2. श्रीमती किरन यादव	श्री अशोक कुमार यादव	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	30
3. श्री रामसिंह	श्री नत्थू सिंह	बैंक कॉलोनी, मैनपुरी	60
4. श्री देवपाल सिंह	श्री रज्जन लाल	सुटियानी, ताखा, इटावा	32
5. श्रीमती पुष्पा देवी	श्री देवपाल सिंह	सुटियानी, ताखा, इटावा	30

क- श्री अशोक कुमार यादव ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे व श्रीमती किरन यादव ट्रस्ट की ज्वान्ट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगी तथा ये दोनों अपने-अपने पदों पर आजीवन बने रहेंगे, जब तक कि इनमें से कोई स्वेच्छा से अपना पद त्याग नहीं करता है। यदि आकस्मिक रूप से अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर, मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो ज्वान्ट मैनेजिंग ट्रस्टी स्वतः मैनेजिंग ट्रस्टी का रिक्त पद ग्रहण कर लेगा तथा यदि ज्वान्ट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ज्वान्ट मैनेजिंग ट्रस्टी को को-आप्ट कर लेंगे।

ख- अन्य ट्रस्टीगण में से दो-दो की संख्या में प्रति तीन वर्ष बाद रिटायर्ड होते रहेंगे। प्रथम दो ट्रस्टी इस ट्रस्ट के गठन की तिथि से तीन वर्ष बाद रिटायर्ड होंगे। रिटायर हुए ट्रस्टीगण पुनः को-आप्ट किये जाने को अर्ह होंगे।

ग- मैनेजिंग ट्रस्टी एवं ज्वान्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी इच्छा से किसी भी ऐसे व्यक्ति जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सकें। ट्रस्ट को ट्रस्टी को-आप्ट कर सकेंगे।

घ- ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण की अधिकतम संख्या आठ से अधिक नहीं होगी।

5. प्रबंधन -

अ- ट्रस्ट के प्रबंधन एवं नियन्त्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होंगे। ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की ओर से चल व अचल सम्पत्ति कय-विकय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एवं कब्जा प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं के लिए व ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फण्ड, चल व अचल सम्पत्ति एवं पूंजी निवेश की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण का यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय-समय पर ट्रस्ट के सुचारु प्रबंधन एवं प्रसासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निर्माण करें। प्रतिबंध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आधुनिक अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) - 11 से 13 एवं 80 के प्रावधानों के विपरीत न हों।

DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

देवपाल सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 861095

ब- ट्रस्ट के सुचारु प्रबंधन, आय-व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण हेतु की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जायेंगी। परन्तु प्रतिबंध यह है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जायेंगी।

स- ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति में पूर्ण होगा।

द- ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा व मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मैनेजिंग ट्रस्टी व ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी दोनों की अनुपस्थिति की स्थिति में किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। तथा मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा।

य- बैठकों की समस्त कार्यवाही इसके लिए निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

र- ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टीगण में से जो ट्रस्टी लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित कारण बताये तथा बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी ट्रस्टी के रूप में सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण किसी उचित एवं विधिमान्य कारण के आधार पर ऐसे ट्रस्टी को उक्त प्रतिबंध से मुक्त कर सकते हैं।

ल- ट्रस्ट के प्रबंधन एवं प्रशासनिक मामलों पर ट्रस्टीगण में मत विभिन्नता होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा तथा यह सभी ट्रस्टीगण के लिए अनिवार्यता स्वीकार्य होगा।

6. ट्रस्टीगण के अधिकार-

1. ट्रस्ट के फन्ड का समुचित प्रबंधन करना तथा इससे होने वाली आय, लाभ एवं ब्याज को प्राप्त करना एवं उस पर होने वाले व्यय व अन्य देनदारियों का भुगतान करना।

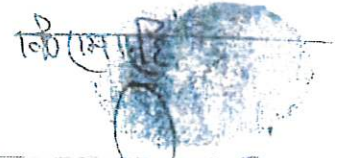
2. ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होंगे जो उन्हें विशेष रूप से प्रदान किये गये हो तथा जो ट्रस्ट के सुचारु संचालन में उपयोगी एवं हित साध्य हों।

3. ट्रस्ट की ओर से बैंक एकाउन्ट खोलने एवं संचालित करने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी एवं ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी में से कोई एक अथवा दोनों ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार अधिकृत होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्था अथवा अन्य संस्था का बैंक एकाउन्ट ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा उस संस्था के प्रबंधक में से किसी एक के नाम से ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार खोला एवं संचालित किया जायेगा।

4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुतवादों की पैरवी, ट्रस्ट की संपत्ति के रख-रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा। इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टी गण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।







DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TA
AGRA

20/11/2017

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

65AA 948671

4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख-रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा। इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टी गण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।

5. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्टडीड द्वारा प्रदत्त की गयी शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रतिबन्धित रहेंगे।

6. ट्रस्टीगण को, अपने विवेक से लिए गये सामूहिक निर्णय द्वारा ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों को जो उनके स्वत्वाधिकार में हैं, विक्रित करने एवं आवश्यक होने पर ट्रस्ट के पक्ष में चल व अचल सम्पत्ति को कय करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ट्रस्ट के कार्य संचालन की प्रक्रिया के अन्तर्गत किये गये कय-विकय से यदि ट्रस्ट को कोई हानि होती है तो उसको ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जायेगा। साथ ही इस प्रकार किये गये प्रत्येक विकय से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा कय किये जाने के लिए भुगतान हेतु वांछित धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते से ही आहरित किया जायेगा।

7. ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/बार्षिक चंदा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेंगे।

8. ट्रस्ट के समस्त लेख एवं आय-व्यय का विवरण लेखा-अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष मार्च तक की समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान, लेखों, आय-व्यय तथा बैलेन्स सीट तैयार कराकर उसका किसी सुयोग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट कराया जायेगा।

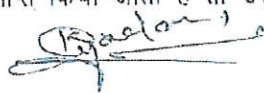
9. ट्रस्टीगण द्वारा समय-समय पर ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों तथा लेखालिपिक, कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी। तथा उनके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेंगे। ऐसे कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फन्ड से ही भुगतान किये जायेंगे।

10. ट्रस्टीगण समय-समय पर अपने बहुमत से लिए गये निर्णयानुसार ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति या उसके अंश को बंधक करके अथवा बॉन्ड, डिबेनचर, रिसीट, प्रोमिजरी, नोट अथवा प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित जैसा उचित समझे के द्वारा ट्रस्ट के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे अथवा ऋण दे सकेंगे।

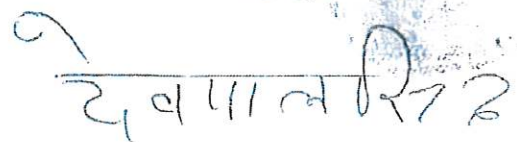
11. ट्रस्ट के सभी फन्ड आयकर अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त किये जायेंगे। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ट्रस्ट को भंग अथवा समाप्त किया जाता है तो उसकी समस्त परिसम्पत्तियां ट्रस्टीगण द्वारा लिये गये


DR. KIRAN SAUJI

MANAGER
DR. KIRAN SAUJI SCHOOL TAJ CITY
AGRA



DR. KIRAN SAUJI





उत्तर प्रदेश, UTTAR PRADESH

65AA 948674

निर्णयानुसार या तो समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को हस्तांतरित कर दी जायेगी अथवा ट्रस्टीगण में बाँट दी जायेगी।

अतः हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता ट्रस्टीगण ने यह ट्रस्टडीड आज दिनांक 20.01.2010 को तहरीर कर दी कि सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आए।

साक्षियों के हस्ताक्षर:-

1. श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह
ग्राम बडाहार, मेनपुरी

सत्यवीर सिंह

2. श्री गणेश यादव पुत्र श्री रामदास यादव
ग्राम अलीनगर कैजरा, फिरोजाबाद

गणेश यादव

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण:-

1. श्री अशोक कुमार यादव

2. श्रीमती किरन यादव

3. श्री रामसिंह

4. श्रीमती पुष्पा देवी

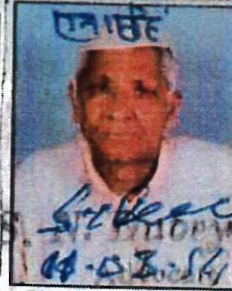
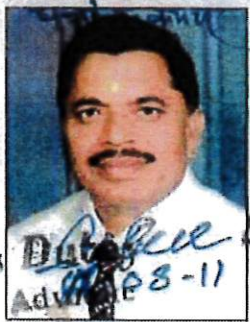
5. श्री देवपाल सिंह

DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

अशोक कुमार यादव
किरन यादव
रामसिंह
पुष्पा देवी
देवपाल सिंह



उत्तर प्रदेश UT



पूरकपत्र ट्रस्ट डीड

विदित हो कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज मैनपुरी। ने दिनांक 16.02.2010 ई0 को श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताव देवी चेरिटेबल ट्रस्ट डीड का गठन कर पंजीकृत कराया जिसका पंजीयन दिनांक 16.02.2010 ई0 को वही संख्या 4 की जिल्द संख्या 35 के पृष्ठ 201 से 212 पर क्रमांक 11 पर हुआ।.....

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature and stamp]

DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

[Handwritten signature]

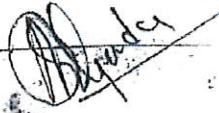


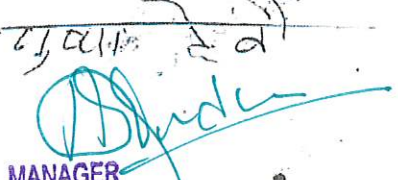
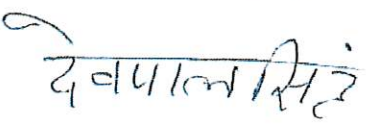
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 495625

4

ट्रस्ट के गठन कर्ता द्वारा ट्रस्ट की पूरी सम्पत्ति के रूप में 50,000 / (पचास हजार) रूपया एकत्र किया गया जिस पर स्टाम्प व शुल्क अदा किया गया। उपरोक्त ट्रस्ट में – ट्रस्ट की नियमावली के साथ ट्रस्टीगण की संख्या तथा प्रबन्धन विधि व ट्रस्टीगण के अधिकारों तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों का तो स्पष्ट उल्लेख है किन्तु प्रतिबन्ध समबन्धी अनुच्छेद अवर्णित रहा जो.....






MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 698925

कि ट्रस्ट के लिये हितकर नहीं है अतः दिनांक 09.03.2011 को ट्रस्ट की मीटिंग आहूत की गयी जिसमें उपरोक्त ट्रस्ट के ट्रस्टीगण की पूर्ण सहमति से यह निर्णय कि ट्रस्ट में निम्न लिखित प्रतिबन्ध भी ट्रस्ट में समाहित किये जावें ताकि डा० किरन सौजिया सीनियर सैकेन्डरी एजुकेशन एकेडमी कुरावली रोड मैनपुरी- के संचालन हेतु सी० वी० एस० ई० बोर्ड नई दिल्ली से एफीलेशन हेतु एन० ओ० सी० के लिये निम्न प्रतिबन्ध समाहित करना आवश्यक है.....

किरण सौजिया

पुष्पा देवी

देवपाल सिंह

DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
ACRA



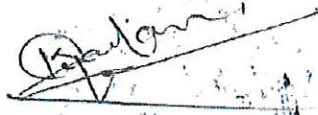
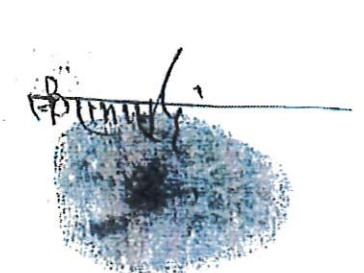
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 698926

अतः प्रतिबन्धों सहित हो उपरोक्त ट्रस्ट को पढ़ा व समझा जावे यह प्रलेख ट्रस्ट डीड दिनांक 16.02.2010 ई0 का पूरक समझा जावे प्रतिबन्ध निम्न लिखित है।

(कं)-विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा। हाँ/नहीं

(ख)-विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। हाँ/नहीं




युवा २.२
देवपाल सिंह

MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

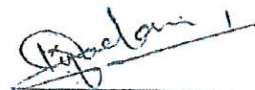
AK 698927

(ग)—विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मैधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

हाँ / नहीं

(घ)—संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्वद्धता सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त


MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA
पुष्पा देवी


किरण साहू
देवालाल सिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 698928

होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्ता हो जायेगा।

हाँ / नहीं

(ड़)-संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

हाँ / नहीं

पुष्पा देवी

देवपाल सिंह

MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

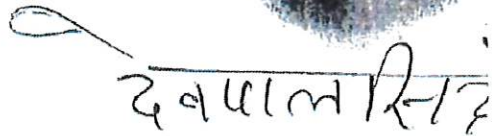
AK 698929

(च)–कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

हाँ / नहीं







MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
ACRA

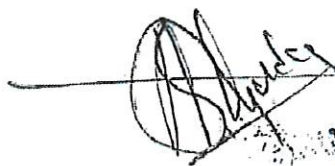


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

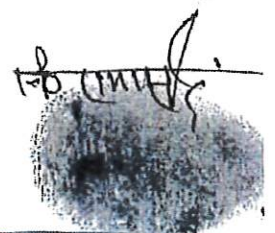
06AB 515051

(छ)—राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी। हाँ/नहीं

(ज)— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का.....







पुष्पा देवी

देवपाल सिंह


MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AB 515052

प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी
प्रतिबन्ध क्रम 1 से 8 तक स्वीकार हैं।

हाँ/नहीं

[Handwritten signature]

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

साक्षी-1- सत्यबीर सिंह पुत्र श्री भगवान
कि नारायण काली लक्ष्मी
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

साक्षी-2- लकी सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण
कि लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

47 N

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

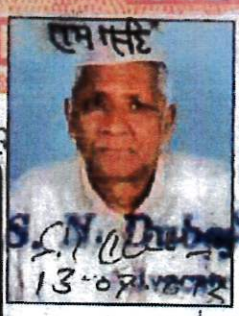
भारत

INDIA

सत्यमेव जयते

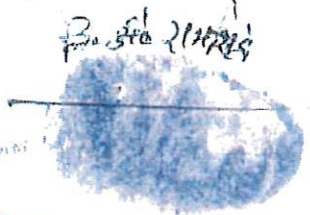
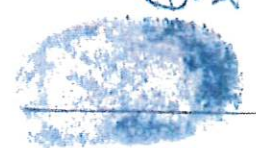
INDIA

AC 571408



संशोधित पूरकपत्र ट्रस्ट डीड

विदित हो. कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज मैनपुरी। ने दिनांक -16/02/2010- ई0 को श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताव देवी चेरिटेबल ट्रस्ट डीड का गठन कर पंजीकृत कराया जिसका पंजीयन दिनांक -16/2022/2010- ई0 को वही संख्या-4-की जिल्द संख्या-35-के पृष्ठ-201-से-212-पर क्रमांक-11-पर हुआ। ट्रस्ट के गठन कर्ता द्वारा ट्रस्ट की पूरी सम्पत्ति के रूप में -50,000/(पचास हजार) रुपया एकत्र किया गया जिस पर स्टाम्प व शुल्क अदा किया गया। उपरोक्त ट्रस्ट में-ट्रस्ट की नियमावली के साथ ट्रस्टीगण की संख्या तथा प्रवन्धन विधि व ट्रस्टीगण के अधिकारी तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों का तो स्पष्ट उल्लेख है किन्तु प्रतिबन्ध समबन्धी



MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

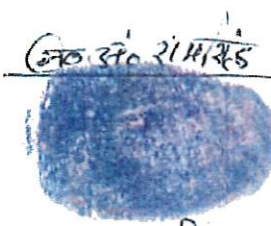
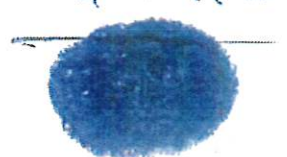
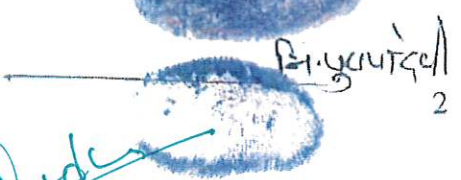


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AB 101032

अनुच्छेद अवर्णित रहा जो कि ट्रस्ट के लिये हितकर नहीं है अतः दिनांक -09/03/2011- को ट्रस्ट की मीटिंग आहूत की गयी जिसमें उपरोक्त ट्रस्ट के ट्रस्टीगण की पूर्ण सहमति से यह निर्णय कि ट्रस्ट में निम्न लिखित प्रतिवन्ध भी ट्रस्ट में समाहित किये जावें ताकि डा० किरन सौजिया सीनियर सैकेन्डरी एजुकेशन एकेडमी कुरावली रोड मैनपुरी- के संचालन हेतु सी० वी० एस० ई० बोर्ड नई दिल्ली से एफीलेशन हेतु एन० ओ० सी० के लिये निम्न प्रतिवन्ध समाहित करना आवश्यक है अतः प्रतिवन्धों सहित हो उपरोक्त ट्रस्ट को पढ़ा व समझा जावे यह प्रलेख ट्रस्ट डीड दिनांक-16/02/2010-ई० का पूरक समझा जावे प्रतिवन्ध निम्न लिखित है। जो ट्रस्ट के ट्रस्टियों को भी स्वीकार व मान्य हैं। ट्रस्टियों की सूची निम्नवत् है।



MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL
A.C.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AB 101033

- 1- श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज मैनपुरी।.....मैनेजिंग ट्रस्टी
 - 2- श्रीमती किरन यादव पत्नी श्री अशोक कुमार यादव निवासी बैंक कालौनी निकट शंकर टाकीज मैनपुरी।.....जोइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी
 - 3- श्री राम सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह निवासी बैंक कालौनी मैनपुरी।ट्रस्टी
 - 4- श्री देवपाल सिंह पुत्र श्री रज्जन लाल निवासी सुष्टियानी ताखा इटावा।....ट्रस्टी
 - 5- श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री देवपाल सिंह निवासी सुष्टियानी ताखा इटावा।..ट्रस्टी
- (क)-विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा। हाँ/नहीं
- (ख)-विद्यालय के प्रवर्धन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। हाँ/नहीं

DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



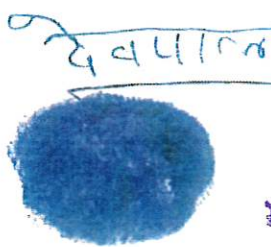
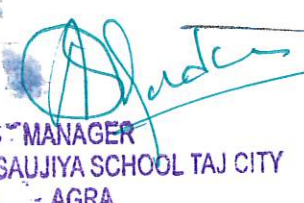
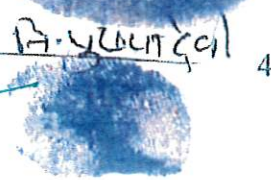
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AB 101034

(ग)—विद्यालय में कम से कम—10—प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मैधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा। हाँ/नहीं

(घ)—संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्वद्धता सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्वद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त हो जायेगा। हाँ/नहीं



MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AB 101035

(ङ)—संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे। हाँ/नहीं

(च)—कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे। हाँ/नहीं

(छ)—राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी। हाँ/नहीं

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

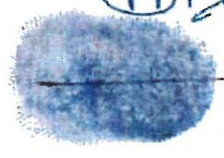
MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

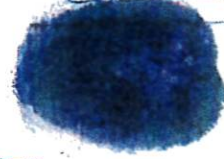
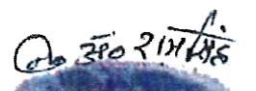


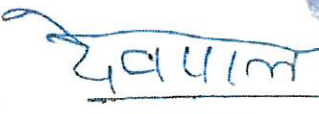
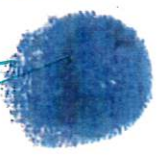
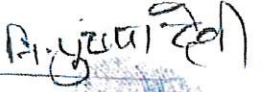
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

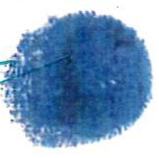
40AB 101036

(ज)-विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। हाँ/नहीं
(झ)-उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा -105- से -107- के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमति शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जावेगी।
(ड़)-उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जावेगा यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम -1- से -10- तक स्वीकार हैं। हाँ/नहीं



MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

40AB 101037

इस प्रलेख के बाद अन्य कोई पूरक पत्र अनुमन्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर द्रष्टव्य

साक्षी-1—श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री हाकिम
सिंह निवासी राजा का वाग मैनपुरी।

[Signature]

साक्षी-2—श्री विनय दुबे एडवोकेट कलक्ट्रेट
परिसर मैनपुरी।

[Signature]

वि.पुष्पादेवी

DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



IN-UP18908880866350W

~~90001~~

AMARDEEP
Stamp Vendor
Licence No :- 16

E-Stamp ACCID-UP14111004
Tehsil- Collectorate, Mainpuri

IN-UP18908880866350W

: 22-Jul-2024 10:50 AM

: NEWIMPACC (SV)/ up14111004/ MAINPURI/ UP-MNP

: SUBIN-UPUP1411100434308146559385W

: ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER

: Article 19 Certificate or other Document

: FOR TRUST (SUPPLEMENTARY)

:

: ASHOK KUMAR SO RAM SINGH

: ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER

: ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER

: 100
: (One Hundred only)



Please write or type below this line

IN-UF 12908880366350VW

Shadon

देवयान

MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

Sinkhole Alert



Photo
By

Civil Co.
Reg. No. 10998/2021

ईस्टाम्प नं०— IN-UP18908880866350W

पूरकपत्र

स्टाम्प—100रु०

पत्र—5

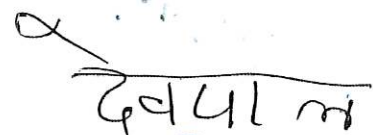
Photo Ar
By Rot
Civil Co.
Reg. No.

Arrested
Rajput
Advocate
Mainpuri
10998/2021

हम कि अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कॉलौनी शंकर टाकीज जिला मैनपुरी। मो०नं०—9720780000 (जो कि इस ट्रस्ट के गठन कर्ता हैं) व ट्रस्ट के ट्रस्टीगण 1. अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कॉलौनी शंकर टाकीज जिला मैनपुरी व 2. श्री देवपाल सिंह पुत्र स्व० रज्जन लाल निवासी सुतयानी ताखा जिला इटावा।











MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

2 ईस्टाम्प नं०— IN-UP18908880866350W

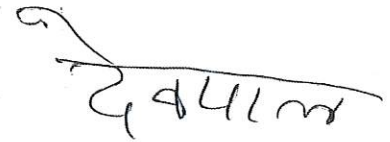
विदित हो कि इन सभी लोगों ने एक ट्रस्ट दिनांक 20/01/2010 को गठन किया जिसका नाम श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चेरीटेबिल ट्रस्ट बैंक कॉलौनी मैनपुरी की एक ट्रस्ट 20/01/2010 लिखी गयी और इस ट्रस्ट की रजिस्ट्री 16/10/2010 को बही संख्या 4 जिल्द संख्या 35 के पृष्ठ संख्या 201 से 212 पर क्रमांक 11 पर उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में रजिस्ट्री सम्पन्न हुयी और इस ट्रस्ट का एक पूरक पत्र दिनांक 11/03/2011 को लिखा गया और इस पूरकपत्र की रजिस्ट्री तद दिनांक 11/03/2011 को बही संख्या 4 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ संख्या 155 से 172 पर क्रमांक 19 पर उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में सम्पन्न हुयी। । फिर इसी पूरकपत्र में एक संशोधित पूरकपत्र ट्रस्ट डीड दिनांक 13/07/2012 को लिखा गया



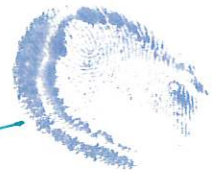
MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

3 ईस्टाम्प नं०- IN-UP18908880866350W

जिसकी रजिस्ट्री तद् दिनांक 13/07/2012 बही संख्या 4 जिल्द 43 के पृष्ठ संख्या 195 से 208 पर क्रमांक 49 उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में सम्पन्न हुयी। इस संशोधित पूरकपत्र ट्रस्ट डीड में भूलवश पृष्ठ संख्या 7 में एक लाइन "इस प्रलेख के बाद अन्य कोई पूरक पत्र अनुमन्य नहीं होगा" लिख गया। इस लाइन की जगह "(ट) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।" लिखना था अतः यह लाइन ट्रस्ट डीड का भाग ही माना जाये। इसके अलावा संशोधित पूरकपत्र में और कोई भी संशोधन नहीं किया गया है यह कि ट्रस्ट की शर्त के अनुसार आज दिनांक 22/07/2024 को तीन सदस्यों श्रीमती किरन यादव व राम सिंह व श्रीमती पुष्पा देवी के द्वारा अपनी स्वेच्छा से दिये गये त्याग पत्र (जो पूर्व में मंजूर कर लिये गये थे) स्वीकार होने के कारण मात्र दो सदस्य डा० अशोक कुमार(मेनेजिंग ट्रस्टी) व देवपाल (सदस्य) के रूप कार्यभार संभाल रहे हैं। अतः खूब सोच समझकर यह पूरकपत्र ट्रस्टीगण के द्वारा तहरीर व तकमील करवा दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।



DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



4 ईस्टाम्प नं०— IN-UP18908880866350W

इति तहरीर तारीख 22.07.2024 मसौदाकर्ता रोहित राजपूत
एडवोकेट सिविल कोर्ट मैनपुरी। मो० नं०—8218071811




Rohit Rajput
(Advocate)
Civil Court, Mainpuri
Reg. No. 10998/2021
Mob. 8218071811

द व पाल

गवाह 1. उमंग श्रीवास्तव पुत्र श्री संतवर्खा श्रीवास्तव निवासी
पंजाबी कॉलोनी शहर व जिला मैनपुरी। आधार कार्ड के अन्तिम
चार अंक— 4207



गवाह 2— रोहित राजपूत एडवोकेट सिविल कोर्ट मैनपुरी।



Rohit Rajput
(Advocate)
Civil Court, Mainpuri
Reg. No. 10998/2021
Mob. 8218071811



MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP09464672260484Y

e-Stamp

IV 38

AMARDEEP

Stamp Vendor

Licence No :- 168

E-Stamp ACCID-UP14111004
Tehsil- Collectorate, Mainpuri

Certificate No. : IN-UP09464672260484Y 2026

Certificate Issued Date : 09-Jun-2026 02:07 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14111004/ MAINPURI/ UP-MNP

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1411100413320831687166Y

Purchased by : ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER

Description of Document : Article 19 Certificate or other Document

Property Description : FOR TRUST (SUPPLEMENTARY)

Consideration Price (Rs.) :

First Party : ASHOK KUMAR SO RAM SINGH

Second Party : ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER

Stamp Duty Paid By : ASHOK KUMAR SO RAM SINGH AND OTHER

Stamp Duty Amount(Rs.) : 500
(Five Hundred only)



IN-UP09464672260484Y

Please write or type below this line

अनिपुष्पादेवी

शिवराम



MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

IV 38/26

ईस्टाम्प नं०— IN-UP09464672260484Y

पूरकपत्र

स्टाम्प—500रु०

पृष्ठ—5

नियुक्ति और सुधार विलेख (Supplementary/Rectification Deed)

Deed of appointment of new trustee u/s 73 of the Indian trust act 1882

हम कि अशोक कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी बैंक कॉलौनी शंकर टाकीज जिला मैनपुरी, आधार नं०— 271987076466 मो०नं०— 9720780000 (जो कि इस ट्रस्ट के गठन कर्ता हैं)।

विदित हो कि दिनांक 20/10/2010 को एक ट्रस्ट का गठन किया जिसका नाम "श्रीमती सुशीला यादव व श्रीमती किताबी देवी चेरीटेबिल ट्रस्ट" बैंक कॉलौनी, मैनपुरी नियत किया गया। जिसकी एक ट्रस्टडीड दिनांक 20/10/2010 लिखी गयी और इस ट्रस्ट की रजिस्ट्री 16/10/2010 को बही संख्या 4 जिल्द संख्या 35 के पृष्ठ संख्या 201 से 212 पर क्रमांक 11 पर उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में रजिस्ट्री करायी गयी। फिर इसी में एक पूरकपत्र ट्रस्ट डीड दिनांक 11/03/2011 को लिखा गया। जिसकी रजिस्ट्री तद दिनांक 11/03/2011 को बही सं०—4 जिल्द संख्या 38 के पृष्ठ संख्या 155 से 172 पर क्रमांक 19 पर उपनिबन्ध सदर 07/201 2में रजिस्टर्ड करायी गयी। फिर इसी क्रम में एक संशोधित पूरकपत्र ट्रस्ट डीड दिनांक 13/07/2012 को लिखा गया। जिसकी रजिस्ट्री तद दिनांक 13/07/2012 को बही सं०—4 जिल्द संख्या 43 के पृष्ठ संख्या 195 से 208 पर क्रमांक 49 पर उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में सम्पन्न हुयी।


डा० किरण साजिया शिवराज




MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

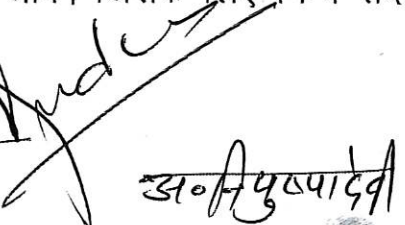
2 ईस्टाम्प नं०— IN-UP09464672260484Y

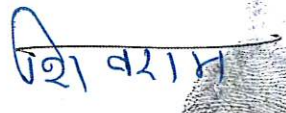
उक्त में संशोधन करते हुए पुनः संशोधित पूरकपत्र ट्रस्ट डीड को दिनांक 22/07/2024 को लिखा गया। जिसकी रजिस्ट्री तद् दिनांक 22/07/2024 को बही सं०—1 जिल्द संख्या 10762 के पृष्ठ संख्या 217 से 226 पर क्रमांक 10001 पर उपनिबन्धक सदर मैनपुरी में सम्पन्न हुयी।

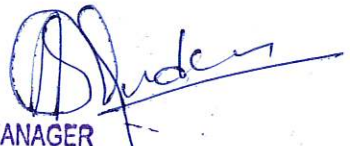
इस ट्रस्ट के अधीन डा० किरन सौजिया सी०से०एजू० एकेडमी मैनपुरी, डा० किरन सौजिया आईसीएसई स्कूल मैनपुरी संचालित हो रहे हैं व डा० किरन सौजिया स्कूल ताज सिटी आगरा, आगरा आज की तारीख में निर्माणाधीन है।

इस ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य श्री देवपाल सिंह पुत्र स्व० श्री रज्जन लाल निवासी— सुतियानी, ताखा, जिला—इटावा (उ०प्र०) के दिनांक 18.07.2025 को आकस्मिक निधन के कारण ट्रस्ट डीड में सुधार विधि नियमानुसार होना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की एक औपचारिक बैठक में निर्णय पारित हुआ कि ट्रस्ट के हित को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट में अन्य स्थायी सदस्यों को नियुक्त कर भविष्य में ट्रस्ट के हितों की रक्षा की शपथ दिलाकर उनको कार्यभार सौंपा जावे। जिसके लिए निम्न सदस्यों को इस प्रकार नियुक्त किया जाता है।








MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA

3 ईस्टाम्प नं०- IN-UP09464672260484Y

क्र० सं०	पद	नाम	पता	आधार नं०	पेन नं०	मो०नं०
1	मुख्य न्यासी / अध्यक्ष (Managing Trustee/ President)	डॉ० अशोक कुमार पुत्र राम सिंह	बैंक कॉलौनी, शंकर टाकीज, जिला मैनपुरी	271987076466	AARPY1809J	9720780000
2	सचिव Secretary	पुष्पा देवी 8/0 देवपाल	सुतियानी, ताखा, इटावा	329236360177	GRUPD7954K	8393946830
3	कोषाध्यक्ष Treasurer	शिवराम 5/0 अटिवान रि०	लुहारी, ओन्हा, करहल, मैनपुरी	952906548830	EMBPR5995G	7060540843




डॉ० किरण साजिया

शिवराम







MANAGER
DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL, TAJ CITY
AGRA

4. ईस्टांप नं०- IN-UP09464672260484Y

अतः खूब सोच समझकर यह पूरकपत्र ट्रस्टीगण के द्वारा तहरीर व तकमील करवा दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे तथा उक्त संशोधन को ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्ट डीड का ही हिस्सा माना जावे।

इति तहरीर तारीख 22/06/2024 मसौदाकर्ता रोहित राजपूत एडवोकेट सिविल कोर्ट मैनपुरी। मो० नं० 8218071811

  
मो० नं० पु० पा० ६०५६०५

उमंग श्रीवास्तव १/० श्री सतवर २०२१ श्रीवास्तव निवासी
पंजाबी बालौनी शहर मैनपुरी। आधार नं० 663886434287
मो० नं० 9368036703

गवाह 2.

मोहनलाल १/० श्री इन्द्रा राय निवासी ग्राम लुहारी पोस्ट ओनहा
तहसील कटहल जिला मैनपुरी। मो० नं० 9675756584
आधार नं० 497326391247

मोहनलाल



MANAGER

DR. KIRAN SAUJIYA SCHOOL TAJ CITY
AGRA